छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 1905/प्र.ऊ./उ.वि./2006 रायपुर,दिनांक 7 AUG 2006

अधिसूचना

पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने संबंधी नीति ।

छत्तीसगढ़ में अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2002 में जारी नीति के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश में पवन ऊर्जा के विकास हेतु निम्नानुसार नीति जारी करता है :–

इस नीति को **"पवन ऊर्जा नीति"** कहा जायेगा तथा यह पूरे राज्य में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से आगामी संशोधन तक प्रभावशील रहेगी । नीति के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :–

(1) राज्य में पवन ऊर्जा के विकास हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), ऊर्जा विभाग के अधीन कार्य करेगी । प्रदेश में पवन ऊर्जा की संभावनाओं का पता लगाने हेतु क्रेडा द्वारा पवन ऊर्जा अध्ययन कराया जायेगा । पवन ऊर्जा अध्ययन हेतु निजी इकाईयों की सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जायेगा । पवन ऊर्जा से संबंधित कोई भी प्रतिष्ठित इकाई या पवन ऊर्जा संयंत्र निर्माता इकाई (जो भारत सरकार के अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में पंजीबद्ध है एवं वायु अध्ययन हेतु रूचि रखती है), को पवन ऊर्जा अध्ययन की अनुमति दी जा सकेगी । किन्हीं भी दो प्रस्तावकर्ताओं को आपस में 50 कि.मी. की दूरी के भीतर अध्ययन की अनुमति नहीं दी जायेगी । अनुमति प्राप्त इकाई द्वारा कम से कम 24 महीने निरंतर अध्ययन किया जाना चाहिए तथा इकाई द्वारा अध्ययन पश्चात् प्रस्तुत जानकारी/आंकड़ो का सत्यापन अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सूचीबद्ध संस्था से कराया जाना चाहिए । अध्ययन जानकारी सत्यापित तथा प्रमाणित पाये जाने पर कार्य स्थल, " पात्र कार्य स्थल" घोषित किया जायेगा ।

(2) क्रेडा द्वारा चिन्हांकित "पात्र कार्य स्थल" पर पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु खुली निविदा के माध्यम से निवेशक का चयन किया जायेगा । ऐसी इकाई को "पात्र कार्य स्थल" से 25 कि.मी. की त्रिज्या के वृत की परिधि के भीतर संयंत्र स्थापना हेतु आवश्यक भूमि उपयोग का अधिकार प्रदान किया जायेगा ।

यदि "पात्र कार्य स्थल" का चिन्हांकन निजी इकाई द्वारा किया गया हो तो "पात्र कार्य स्थल" से 10 कि.मी. की त्रिज्या के वृत की परिधि में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापना का प्रथम अधिकार उक्त इकाई का होगा ।

(3) ग्रिड इंटरफेसिंग और संधारण का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के मापदण्डों के अनुसार पात्र इकाई को स्वयं के व्यय पर करना होगा । यदि निवेशक इसके लिए अनुरोध करे तो यह कार्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित दरों पर भी किया जा सकता है ।

(4) पवन ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित विद्युत क्रय का प्रथम अधिकार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर राज्य शासन अथवा उसके द्वारा नामांकित एजेंसी का होगा । राज्य सरकार या उसके द्वारा नामांकित एजेंसी द्वारा विद्युत क्रय न करने की दशा में निवेशक तृतीय पक्ष को विद्युत विक्रय करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ।

(5) पवन ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत का ग्रिड में पारेषण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत उत्पादक के स्वयं के उपभोग स्थल या उसके द्वारा निर्मित किसी तृतीय इकाई के उपयोग स्थल तक राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर किया जायेगा, भले ही विद्युत उत्पादन स्थल व उपभोग स्थल में कितनी ही दूरी क्यों न हो ।

(6) इकाई को शासकीय भूमि के उपयोग का अधिकार 30 वर्ष या परियोजना अवधि जो भी पहले हो, के लिए प्रदान किया जायेगा । राजस्व विभाग द्वारा चयनित इकाईयों को परियोजना के लिए उतनी ही शासकीय भूमि आबंटित की जायेगी जो ऊर्जा विभाग द्वारा इस हेतु अनुशंसित की जायेगी ।

(7) विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु यदि निजी भूमि की आवश्यकता हो तो उसके उपयोग हेतु निम्नानुसार विकल्प होंगे :–

(अ) भूमि का अधिग्रहण, भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत तथा राज्य शासन की आदर्श पुनर्वास नीति के अनुसार किया जाये ।

अथवा

(ब) भूमिस्वामी द्वारा भूमि का उपयोग करने का अधिकार (Right to Use) पर भूमि देने का विकल्प चुनने पर रूपये 5,000/– प्रति एकड़ प्रतिवर्ष का किराया निवेशक द्वारा भूमिस्वामी को दिया जायेगा । यह किराया प्रति तीन वर्ष में 15% बढ़ाया जायेगा । यह व्यवस्था 30 वर्ष तक लागू रहेगी । निवेशक द्वारा अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन किये जाने पर राज्य शासन की अनुमति से भूमि उपयोग करने के अधिकार की अवधि बढ़ाई जा सकेगी ।

(8) परियोजना के लिए सभी विभागों से आवश्यक स्वीकृतियॉं, छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम के तहत दी जायेंगी ।

(9) पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाली इकाईयॉं, उद्योग विभाग की घोषित नीति के तहत् नये उद्योगों को दी जाने वाली समस्त रियायतों की भी पात्र रहेंगी । इन इकाइयों को शासन की उद्योग नीति तथा अन्य सभी प्रचलित नीतियों के अंतर्गत सभी दायित्वों का निर्वहन करना होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध टुटेजा)
उप सचिव
ऊर्जा विभाग

पृष्ठांकन क्र. 1906 /प्र.ऊ./उ.वि./2006
प्रतिलिपिः—

रायपुर,दिनांक 7 AUG 2006

01. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय ।
02. शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव ।
03. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा, रायपुर ।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, डंगनिया, रायपुर ।
05. मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
06. संचालक, जनसंपर्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
07. उप नियंत्रक, शासन मुद्रणालय, राजनांदगांव को अधिसूचना को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशनार्थ । कृपया प्रकाशन उपरांत अधिसूचना की 50 प्रतियों का प्रदाय, विभाग को शीघ्र करें ।

उप सचिव
ऊर्जा विभाग